

प्रेषक,

आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल,
मुरादाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार,
नई दिल्ली।

संख्या : ९४७ / २७-५९ (२००८-०९) जे००५०

विषय : लीड इण्डिया इंटरनेशनल स्कूल, ग्राम इमरता राय, तहसील स्वार, जिला रामपुर को सी०३००५० नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण पत्र दिया जाना।

दिनांक : २६ जून, २०१५

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि लीड इण्डिया इंटरनेशनल स्कूल, ग्राम इमरता राय, तहसील स्वार, जिला रामपुर को सी०३००५० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपति नहीं है :-

- १- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- २- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- ३- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेघावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रायोगिक शिक्षा परिषद्/वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- ४- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेप्ट्री एजूकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रायोगिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- ५- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भर्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भर्ते नहीं दिये जायेंगे।
- ६- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- ७- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संरक्षा उनका पालन करेगी।
- ८- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रत्र पांजिकाओं में रखा जायेगा।
- ९- राज्य सरकार एवं सी०३००५०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थाएँ सुविधाओं की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- १०- उक्त विद्यालय का संचालन अनापति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम इमरता राय तहसील परगना व तहसील स्वार जिला रामपुर में स्थित भूमि खाता संख्या ०००२० गाटा संख्या ७० क्षेत्र ०.८०९ है० (पंजीकृत लीज डीड दिनांक २६-०५-२०१५ के अनुसार) भूमि में निर्मित भवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- ११- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

मवदीय,

(विपिन कुमार द्विवेदी)
आयुक्त।

संख्या एवं दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- २- शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- ३- निरीक्षक, आंग भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- ४- जिलाधिकारी रामपुर।
- ५- संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
- ६- जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर।
- ७- प्रबन्धक, लीड इण्डिया इंटरनेशनल स्कूल, ग्राम इमरता राय, तहसील स्वार, जिला रामपुर।

(विपिन कुमार द्विवेदी)
आयुक्त।